

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234283 CG-DL-E-17032022-234283

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] No. 73] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/फाल्गुन 26, 1943

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

सं. 50 / 2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के एएनएफ 4च के दिशानिर्देशां में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/218/एएम21/पीसी—4.—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एततद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2015—2020 के एएनएफ—4च के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा 2(क) (i) संशोधित पैरा 2(क) (i) (i) परिशिष्ट 2प में दिए गए फॉर्म में ई-बीआरसी / निर्यात परिशिष्ट 2प में दिए गए फॉर्म में ई-बीआरसी / निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र या दस्तावेजों की सीधे और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र या दस्तावेजों की सीधे लेन लेन देन के मामले में विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र देन के मामले में विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी) या निर्यात आय के समायोजन के मामले (एफआईआरसी) या निर्यात आय के समायोजन के मामले में परिशिष्ट 2उ। में परिशिष्ट 2ठ। ओएफएसी सूचीबद्ध देशों को निर्यात मामले में, निर्यातक एफआईआरसी स्व-घोषणा के साथ प्रस्तुत कर सकता है कि संबंधित बैंक द्वारा ई-बीआरसी जेनरेट नहीं किया जा सका।

1850 GI/2022 (1)

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक, 2015—2020 के एएनएफ—4च के दिशानिर्देशों में अग्रिम अधिकार—पत्र के तहत ओएफएसी सूचीबद्ध देशों को किए गए निर्यात के मामले में एफआईआरसी जमा करने की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th, March, 2022

No. 50/2015-2020

Subject: Amendments in the Guidelines of ANF-4F of Handbook of Procedures 2015-2020.

F. No. 01/94/180/218/AM21/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in the guidelines of ANF-4F of Handbook of Procedures, 2015-2020:

Existing Para 2(a)(i)	Amended Para 2(a)(i)
(i) e-BRC / Bank Certificate of Exports and	(i) e-BRC / Bank Certificate of Exports and
Realisation in the form given at Appendix 2U	Realisation in the form given at Appendix 2U
or Foreign Inward Remittance Certificate	or Foreign Inward Remittance Certificate
(FIRC) in the case of direct negotiation of	(FIRC) in the case of direct negotiation of
documents or Appendix 2L in case of	documents or Appendix 2L in case of
offsetting of export proceeds.	offsetting of export proceeds. In case of
	export to OFAC listed countries, exporter
	may submit FIRC along-with the
	self-declaration that e-BRC could not be
	generated by the concerned bank.

Effect of this Public Notice: Guidelines of ANF-4F of Handbook of Procedures, 2015-2020 has been amended to allow submission of FIRC in case of exports made to OFAC listed countries under Advance Authorization.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.